न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 213 / 2023

अनवान : –

1. मोहरसिंह पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. मनीराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
3. जगदीश प्रसाद पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
4. दीवान पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांकः–24/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 192 / 199 की कुल 3.6540 हैक्ट भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। गैरसायल स0 1 ता 4 जो सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण के पड़ौसी काश्तकार है आये दिन तंग परेशान करते है तथा बिना पैमाईश के सायल के खसरा न0 306 की भूमि में जबरिया दखल देने की कोशिश करते है तथा ख0न0 306 की भूमि में निर्माण करके हमारी भूमि को खुर्द बुर्द करके हमारे खेत में दखल देना चाहते है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा ललाना बास उतरादा के खाता स0 192 / 199 के ख0न0 306 की 1.7830 हैक्ट भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे व मौका तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजि[illegible] गया। रोही मौजा ललाना बास उतरादा के खाता स0 192 / 199 की भूमि [illegible] निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में प्रवेश न करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की ख0न0 306 की 1.78630 हैक्ट भूमि में से 0.7710 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो उनकी पुरानी पुस्तैनी भूमि है उत्तरदातागण द्वारा ख0न0 306 की भूमि में निर्माण कार्य नही किया जा रहा है एवं ख0न0 305 की अपनी खातेदार भूमि में निर्माण किया जा रहा है। गैरसायल स0 3 फौत हो चुका है सायल ने मृतक के खिलाफ दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो की न चलने योग्य है। उक्त वाद भूमि बाबत न्यायालय हाजा में पूर्व में एक वाद मनीराम बनाम चरणसिह जैरकार है जिसमें सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण हाजीर है। गैरसायलान ख0न0 305 व ख0न0 306 की पैमाईश करवाने हेतु तैयार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। गैरसायल स0 1 ता 4 जो सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण के पड़ौसी काश्तकार है आये दिन तंग परेशान करते है तथा बिना पैमाईश के सायल के खसरा न0 306 की भूमि में जबरिया दखल देने की कोशिश करते है तथा ख0न0 306 की भूमि में निर्माण करके हमारी भूमि को खुर्द बुर्द करके हमारे खेत में दखल देना चाहते है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा ललाना बास उतरादा के खाता स0 192/199 के ख0न0 306 की 1.7830 हैक्ट भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे व मौका तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया ख0न0 306 की 1.78630 हैक्ट भूमि में से 0.7710 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो उनकी पुरानी पुस्तैनी भूमि है उत्तरदातागण द्वारा ख0न0 306 की भूमि में निर्माण कार्य नही किया जा रहा है एवं ख0न0 305 की अपनी खातेदार भूमि में निर्माण किया जा रहा है। गैरसायलान द्वारा 5 वर्ष पूर्व निर्मित मकानों की मरम्मत की जा रही है न की नवीन निर्माण किया जा रहा है। गैरसायल स0 3 फौत हो चुका है सायल ने मृतक के खिलाफ दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो की न चलने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत कब्जा का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखा जाता है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसे होगी। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानावास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 192/199 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुल 3.6540 हैक्ट भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि के कब्जा काश्त का बिन्दु मूल वाद में तय होना है अप्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि बाबत पूर्व में दावा अबनवानी मनीराम बनाम चरणसिंह जैरकार है जिसका सायल को भलीभांत ज्ञान है। गैरसायलान के लगभग 5 वर्ष पूर्व मकान/ढाणी बनी हुई है। पूर्व में निर्मित ढाणी की मरम्मत की जा रही है उक्त बिन्दुओं के मध्यनजरः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 18.08.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/12/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:50 IST
Reason: SelfAttested